

21/5/25

वादी अधिवक्ता उपस्थित। मूल वाद में 120
जारी करने बाबत सहमति प्रदान की। वादी
अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता
ने समयपक्षकारण को मूल वाद के अंतिम
निष्पत्ति तक पाबन्द करने का विवेक किया।
बहस पर मजबूत एवं पक्कवली के अवसरों
से स्पष्ट है की दावा 53 का है एवं एकपक्षीय
कार्रवाई की जा चुकी है। एवं वादी अधिवक्ता ने
P.O. जारी बाबत सहमति भी प्रदान की जा
चुकी है। ऐसे में मूल वाद के अंतिम निष्पत्ति तक
समयपक्षकारण को मजबूत व राजस्व हिरा की
स्थिति अभावक रखने बाबत पाबन्द किया जाना
उचित प्रतीत होता है। अतः पाबन्द किया जाना
है। एवं पक्कवली फैसले शुकाट घेकट नम्बरान
से कम है। एवं मूल वाद के साथ लेखन
की जावे।

21/5/25

